सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 18 फाल्गुन, 1942 (श०) / 09 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 140

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	91
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	05
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	..	..	20
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	08
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	04
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	02
(7)	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	..	..	02
(8)	परिवहन विभाग	..	..	04
(9)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	..	04
			कुल योग --	140

संवेदक पर कार्रवाई एवं भवन निर्माण कराना

*1347. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत के नगर प्रखंड के कोबरा पंचायत के मध्य विद्यालय, प्राणपति को उच्च विद्यालय में तीन वर्ष पूर्व उत्क्रमित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय का निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं होने के कारण ग्रामीणों के विरोध करने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा 2018-19 में उक्त कार्य को रोक दिया गया है जो आजतक बंद है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार संवेदक पर कार्रवाई करने एवं भवन निर्माण कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी परिवहन परिचालन कराना

*1348. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के नरकटियागंज से राज्य के मुख्यालय पटना सहित दूसरे जिलों में आवागमन के लिये सरकारी परिवहन सुविधा के अभाव में निजी परिवहन संचालक जनता से किराया वसूली में मनमानी करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नरकटियागंज से पटना सहित अन्य जिला मुख्यालयों के लिये सरकारी परिवहन परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना

*1349. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को तकनीकी पढ़ाई हेतु दूसरे जिले में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का निर्णय है ।

उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 821, दिनांक 17 मार्च, 2016 के द्वारा राज्य के अरवल जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 3516, दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के द्वारा अरवल जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु कुर्था अंचल के मौजा-धमौल में 5.00 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21, दिनांक 19 जनवरी, 2019 द्वारा अरवल जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिये कुल रुपया 36.35 करोड़ (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रुपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

भवन निर्माण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पॉलिटेक्निक संस्थान के भवनों का निर्माण अभी प्रारंभिक अवस्था में है ।

वर्तमान में राजकीय पॉलिटेक्निक अरवल राजकीय पॉलिटेक्निक अस्थावाँ (नालन्दा) के परिसर में संचालित है तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 से पठन-पाठन की प्रक्रिया प्रारंभ है ।

नया चहारदीवारी बनाना

*1350. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के नगर परिषद्, महनार अन्तर्गत वार्ड नम्बर 7 में राजकीय मध्य विद्यालय की चहारदीवारी जर्जर हालात में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में नया चहारदीवारी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय खोलना

*1351. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत, कहलगाँव प्रखंड के शिवनारायणपुर ग्राम में अनुसूचित जन-जाति के छात्र-छात्राओं हेतु कोई आवासीय विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जन-जाति के सर्वांगीण विकास तथा शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय वर्ष 2010 में लिया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योग्य शिक्षकों एवं उचित संसाधनों की व्यवस्था

*1352. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के उच्च विद्यालयों में विज्ञान विषयों की शिक्षा के लिये प्रयोगशाला की पर्याप्त व्यवस्था, उचित संसाधन एवं योग्य शिक्षकों की कमी के कारण छात्र-छात्राओं को प्रायोगिक शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के उच्च विद्यालयों एवं +2 विद्यालयों में प्रायोगिक शिक्षा के लिये योग्य शिक्षकों एवं उचित संसाधनों की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*1353. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के मदरसों/संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर शिक्षकों के ई0पी0एफ0 कटौती के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 985 एवं 986, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 में दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से कटौती किये जाने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आदेश के बाद भी आजतक उक्त मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में उक्त शिक्षकों के ई0पी0एफ0 कटौती नहीं करने का क्या औचित्य है ?

अधियाचना भेजना

*1354. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-193 बड़हरा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड में स्टेडियम नहीं है, जिसके कारण क्रीड़ा संस्कृति सम्यक् रूप से विकसित नहीं हो पा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बड़हरा प्रखंड में कृषि विभाग की अनुपयोगी पड़ी जमीन पर स्टेडियम बनाने हेतु विगत 10 वर्षों से ग्रामीणों द्वारा माँग की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बड़हरा में स्टेडियम निर्माण के लिये उक्त जमीन के अधिग्रहण हेतु कृषि विभाग को अधियाचना भेजने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*1355. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के प्रखंड रफीगंज में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोटवारा स्थित है, जिसकी भूमि को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण विद्यालय का शौचालय नहीं बन सका है, जबकि शौचालय बनाने की राशि आवंटित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भट्ठा मालिक पर कार्रवाई

*1356. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत वजीरगंज प्रखंड में ग्राम-आशा बिगहा महादलित टोला के नजदीक राधा ईंट भट्ठा संचालित है, जिसके कारण चिमनी की वजह से वहाँ वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ईंट भट्ठा मालिक द्वारा नियमानुसार मिट्टी की कटायी भी ज्यादा की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार जाँच करवाकर भट्ठा मालिक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1357. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखण्ड कोटवा में गोपी छपरा पंचायत के उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, टकटकापुर (अनुसूचित जाति टोला) के प्रांगण में चहारदीवारी नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के प्रांगण में चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान कराना

*1358. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के 1127 कोटि के सरकारी अनुदानित यथा-मदरसा इस्लामिया संहरिया तिलाहत्ता बड़ारा, मुजफ्फरपुर नं0 1115 एवं मदरसा रिजविया समसूल ओलूम बारा लहुरीया, सीतामढ़ी नं0 1143 व अन्य मदरसा में वर्ष 2017 से नियुक्त विज्ञान शिक्षकों को अबतक वेतन नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार विज्ञान शिक्षकों का वेतन भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नये भवनों का निर्माण कराना

*1359. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत प्रखंड मुख्यालय में राजकीयकृत 10+2 उच्च विद्यालय, हरनौत की स्थापना 1942 ई0 में की गयी थी, जिसके भवन का निर्माण जनसहयोग की सहायता से हुई थी, वर्तमान समय में विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के पुराने भवनों को तोड़कर नये भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का पदस्थापन

*1360. डॉ0 रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या-185 फतुहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा प्रखण्ड में विभागीय पत्रांक 1648, 1649 एवं 1650 दिनांक 27 अगस्त, 2015 के द्वारा मौजीपुर पंचायत के उ0म0 विद्यालय, मौजीपुर एवं मोमिन्दपुर पंचायत के उ0म0 विद्यालय, बुद्धूचक एवं कोलहर पंचायत के उ0मा0 विद्यालय, कोलहर का उत्क्रमण उच्च विद्यालयों में किया गया था, में दो साल पूर्व से ही शैक्षणिक सत्र आरंभ हो गया है, परंतु अभीतक शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किए जाने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

*1361. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ प्रखण्ड के पलुहारा पंचायत के ग्राम-झिकटिया में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चों को एक कि0मी0 से अधिक की दूरी तय कर पठन-पाठन हेतु जाना पड़ता है, जिससे बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*1362. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को अन्यत्र जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बछवाड़ा प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*1363. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलांतर्गत अलौली विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं रहने से छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1364. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय स्थित राजकीय कन्या उच्च विद्यालय पुराना है एवं विद्यालय परिसर में एस0टी0/एस0सी0 छात्रावास भी स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का चाहरदीवारी क्षतिग्रस्त है जिससे यहाँ पढ़ रहे छात्राओं तथा छात्रावास में रह रही छात्राओं पर हमेशा खतरा बना रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बकाया अनुदान की राशि का भुगतान

*1365. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखंड स्थित मिश्री सदा कॉलेज एक अनुदानित कॉलेज है, वर्ष-2008 से लेकर 2013 तक का अनुदान की राशि बकाया रहने के कारण शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बकाया अनुदान की राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय बनाना

*1366. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201-डुमराँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के नावानगर क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय नहीं है, इस क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय बनने से क्षेत्र की ढाई लाख से ज्यादा आबादी को लाभ मिलेगा, यदि हाँ, तो सरकार नावानगर क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना

*1367. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल के अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पालीगंज का भवन जर्जर है एवं पेयजल, शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने के कारण आवासित छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त छात्रावास का जीर्णोद्धार एवं उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेविका पद का चयन

*1368. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ० ज० जा०))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत दिलारपुर वार्ड संख्या 04 की सेविका पद के चयन हेतु अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी ने अपने आदेश सं० 51031-00775, दिनांक 17 अगस्त, 2017 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कटिहार ने अपने पत्र संख्या 273, दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनिहारी को निर्देशित किया है, लेकिन अभीतक चयन की तिथि निर्धारित नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड में सेविका पद के चयन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत मामला दिलारपुर वार्ड संख्या 04 से संबंधित नहीं है क्योंकि इस वार्ड में पूर्व से सेविका/सहायिका चयनित एवं कार्यरत है । प्रश्न में वर्णित कंडिका मनोहरपुर वार्ड संख्या 04 के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 154 का प्रतीत होता है । जिसमें सेविका/सहायिका चयन हेतु जाति बाहुल्यता अत्यंत पिछड़ा वर्ग निर्धारित करते हुये विज्ञापन प्रकाशन हुआ था, जिसके विरुद्ध परिवादी श्री श्याम सुन्दर मंडल द्वारा अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी, के समक्ष परिवाद-पत्र (51031-00776) दायर किया गया था । इस क्रम में मैपिंग पंजी की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनिहारी को प्राप्त हुआ । जाँच के क्रम में उक्त वार्ड की बाहुल्यता अनुसूचित जनजाति पाई गई । तदालोक में अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,

मनिहारी द्वारा अपने पारित आदेश में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर ही प्राप्त आवेदन से अनुसूचित जनजाति के योग्य आवेदिका का चयन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया । परंतु बहुल्य वर्ग परिवर्तित होने की स्थिति में पुन: विज्ञापन प्रकाशित करवाकर चयन कार्य पूर्ण करने का प्रावधान है ।

उल्लेखनीय है कि समय-समय पर निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश यथा पत्रांक 82, दिनांक 6 जनवरी, 2021 के अनुसार मैपिंग के दौरान बाहुल्य वर्ग परिवर्तित होने के स्थिति में नये बाहुल्य वर्ग पर पुन: विज्ञापन प्रकाशित करवाकर नये आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान है, जिसमें पूर्व के आवेदिका को पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी । तदालोक में पूर्व के प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने हेतु जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष संचिका उपस्थापित की गई है । निदेश प्राप्त होने पर विभागीय नियमानुसार अविलंब चयन कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ।

निर्माण कार्य पूर्ण कराना

*1369. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियां प्रखंड के खाजेडीह पंचायत में खाजेडीह उच्च विद्यालय मैदान में स्टेडियम का निर्माण कार्य वर्ष 2005 से अधूरा पड़ा है, कार्य पूरा नहीं होने से युवाओं एवं खिलाड़ियों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के मैदान में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला कॉलेज की स्थापना

*1370. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अनुमंडल में महिला कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्राओं को जिला मुख्यालय में नामांकन कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्प्रेरक-सह-प्रशिक्षकों से पुन: कार्य कराना

*1371. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र संख्या-200 बक्सर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना अंतर्गत (सर्व शिक्षा अभियान) उत्प्रेरक-सह-प्रशिक्षक के पद पर सन् 1998 से मानदेय के आधार पर लोग कार्य करते थे वर्ष 2019 से वैसे लोगों से उत्प्रेरक-सह-प्रशिक्षक का कार्य नहीं कराकर वर्तमान समय में शिक्षकों द्वारा कराया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उत्प्रेरक-सह-प्रशिक्षकों से पुन: कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*1372. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं खासकर छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*1373. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज) --क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार खेलकूद एवं युवा कार्य में विकास हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में एक स्टेडियम निर्माण योजना पर कार्य कर रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखण्ड में स्टेडियम नहीं है, जबकि उक्त प्रखण्ड के सिरसिया कला उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास खेलकूद हेतु पाँच एकड़ जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के मैदान में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राध्यापकों की नियुक्ति

*1374. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत रामाधीन एवं श्री कृष्ण रामरूचि शासकीय डिग्री महाविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति 5 वर्षों से नहीं होने से छात्रा-छात्राओं का पठन-पाठन बाधित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निबंधन कार्य की अनुमति देना

*1375. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मुख्यालय छपरा शहर के जमीन का निबंधन कार्य वर्ष 2017 से बन्द है, जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है एवं जमीन का मालिकाना हक रखने वालों के जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक छपरा शहर के जमीन का निबंधन कार्य प्रारम्भ करवाने एवं खरीद-बिक्री की अनुमति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेश एवं विभागीय पत्रांक 3113, दिनांक 20 जुलाई, 2017 के आलोक में असर्वेक्षित/टोपोलैण्ड भूमि का निबंधन प्रतिबंधित है। उपर्युक्त के अतिरिक्त छपरा शहर की शेष भूमि का निबंधन किया जा रहा है।

विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार

*1376. श्री सतीश कुमार (क्षेत्र संख्या-218 मखदुमपुर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदुमपुर प्रखंड के महमदपुर प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर रहने के कारण उक्त विद्यालय का शिक्षण कार्य पाँच कि०मी० दूर केवटार ग्राम में किया जा रहा है, जिसके कारण उक्त विद्यालय के छात्र-छात्राओं को आने-जाने में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण कराना

*1377. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बारा (मानिकपुर) एवं उच्च विद्यालय, मधुबनी सहित प्रखंड के सभी उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं में असुरक्षा का डर बना रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड के सभी उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त एवं रोस्टर में सुधार करना

*1378. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में रिक्त तृतीय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2012-14 की शेष रिक्ति है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में 100 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर जिलास्तरीय कोटिवार पदों को निर्धारण करना था, जिसमें समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, पूर्णियाँ सहित अन्य जिलों में 100 प्वाइंट रोस्टर का सही-सही अनुपालन नहीं किये जाने से बीसी, इबीसी, जेनरल कोटे में अधिकांश नियोजन इकाई में शून्य दिखाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रिक्ति एवं रोस्टर में सुधार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*1379. श्री सुधाकार सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 38 जिलों के अनुमंडल एवं प्रखण्ड स्तर पर स्टेडियम निर्माण हेतु वर्ष 2008-14 में 302 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु 63 करोड़ 57 लाख 66 हजार 993 रुपये की स्वीकृति दी गयी थी, परंतु 302 स्टेडियम में 122 स्टेडियम का निर्माण प्रक्रिया आरंभ नहीं हुआ तथा 66 स्टेडियम निर्माणाधीन है, जिसका अबतक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया, यदि हाँ, तो स्टेडियम निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारी पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1380. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत राजापट्टी कोठी में अवस्थित सोनासती ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री द्वारा जहरीली रासायनिक दूषित गैस के रिसाव एवं प्रदूषित पानी छोड़ने से स्थानीय लोगों, पशुओं एवं फसलों पर प्रभाव पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी बैकुंठपुर के पत्रांक 755, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 के द्वारा मे० सोनासती ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, राजापट्टी, बैकुंठपुर को प्रदूषण नियंत्रक द्वारा स्थापित मानक का उल्लंघन करने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज को पत्र लिखा गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित फैक्ट्री पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1381. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गुरूआ प्रखण्ड में गुरूआ 10+2 उच्चस्तरीय विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र के खेल प्रेमियों को कठिनाई हो रही है, जबकि उक्त विद्यालय में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं मेन गेट का निर्माण कराना

*1382. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय प्रखंड में लाखों पंचायत के अन्तर्गत अवस्थित यू०एच०एस० उत्क्रमित विद्यालय की चहारदीवारी एवं मेन गेट नहीं नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों का विद्यालय में जमावड़ा बना रहता है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की चहारदीवारी एवं मेन गेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि विमुक्त करना

*1383. श्री चन्द्र शेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों को मिलने वाली अन्न प्रासन एवं गोद भराई योजना की राशि दो (2) वर्षों से नहीं मिली है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त योजनाओं की राशि को विमुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का आवंटन करना

*1384. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (क्षेत्र संख्या-90 मीनापुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मीनापुर प्रखंड में कन्या विवाह योजना अन्तर्गत राशि वर्ष 2013 से 2018 का आवंटन के अभाव में लाभार्थियों को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में उक्त योजना अन्तर्गत राशि का आवंटन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का नियोजन पुनः कराना

*1385. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला अन्तर्गत हिसुआ विधान सभा क्षेत्र के हिसुआ प्रखंड के धनवां एवं छतिहर पंचायत में वर्ष 2008 में नौ शिक्षकों का नियोजन अवैध तरीके से किया गया है, जो नियमावली से हटकर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों पंचायत में जाँच कराकर शिक्षकों का नियोजन पुनः कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाईब्रेरियन और कर्मचारियों की नियुक्ति

*1386. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी 38 जिलों में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक पुस्तकालयों में लाइब्रेरियन एवं कर्मचारियों की कमी के कारण बदहाल है या बंद होने के कगार पर है जिसके चलते छात्रों, युवाओं एवं नागरिकों को पढ़ाई करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पुस्तकालयों की बुनियादी ढाँचा और सुविधाओं को दुरूस्त करने एवं लाईब्रेरियन और कर्मचारियों की नियुक्ति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाना

*1387. श्री सुरेन्द्र राम (क्षेत्र संख्या-119 गरखा (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में स्नातक में नामांकन हेतु विगत छः माह पूर्व एकानवे हजार दो सौ छियालिस विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जबकि उक्त विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या मात्र इकतीस हजार दो सौल सोलह है, जिसके कारण शेष विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या आवेदन के अनुपात में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंगीभूत महाविद्यालय निर्माण कराना

*1388. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के रोहतास और शिवसागर प्रखंड में अंगीभूत महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन के लिये अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में अंगीभूत महाविद्यालय निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण कराना

*1389. श्री चन्द्र शेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा जलवायु को ध्यान में रखते हुये बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण का कार्य चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा प्रखंड, घैलाढ़ प्रखंड सहित सभी प्रखंडों में पैनपीवि पोखर का सौंदर्यीकरण एवं चारों ओर वृक्षारोपण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज स्थापित कराना

*1390. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुण्ठपुर विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिये अन्यत्र जाना पड़ता है, जिसके कारण उनके परिवार पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बैकुण्ठपुर विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1391. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगडिया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया विधान सभा क्षेत्र के संसारपुर में स्टेडियम नहीं रहने से खिलाड़ियों को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक संसारपुर में स्थित मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय बढ़ाने एवं शिक्षण सेवा लेना

*1392. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षा सेवक के नाम से जाने जा रहे टोला सेवक अघोषित रूप से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षण का कार्य लिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षा सेवकों का मानदेय मात्र 8,800 रुपया है, जो पर्याप्त नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उनका मानदेय बढ़ाने एवं उनसे अधिकृत रूप से शिक्षण सेवा लेने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण कराना

*1393. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत चरपोखरी प्रखंड परिसर में स्थित खेल का मैदान अत्यन्द दयनीय है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खेल के मैदान सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*1394. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगडिया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन से संबंधित लाभार्थियों को उक्त पेंशन का भुगतान विगत वर्ष से अबतक नहीं होने के कारण लोगों में क्षोभ व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक लाभार्थियों को उक्त पेंशन का भुगतान कराते हुए विलंब करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री स्नातक छात्रा प्रोत्साहन राशि दिलाना

*1395. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री स्नातक छात्रा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रथम श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को एकमुश्त मो0 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपया का प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है, परंतु मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को उक्त लाभ से वंचित रखा जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को उक्त लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नये भवन का निर्माण कराना

*1396. श्रीमती किरण देवी (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत संदेश विधान सभा क्षेत्र के संदेश प्रखंड के गाँधी रा0 उच्च विद्यालय, भसौली का भवन जर्जर स्थिति में होने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के लिए नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1397. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी प्रखंड के चिताब पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय, राजाबिगहा सामुदायिक भवन में संचालित होता है, जिसके दोनों तरफ सड़क होने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है एवं बच्चों का पढ़ाई बाधित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण

*1398. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत कल्याणपुर प्रखण्ड के कोयला-बेलवा पंचायत के धोबी टोला (महादलित बस्ती) में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- स्वीकारात्मक । जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 154, दिनांक 17 फरवरी, 2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत कोयला बेलवा अंतर्गत वार्ड नं0-06 पटखौलिया में महादलित बस्ती के बीच सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण हेतु चयनित भूमि का खाता संख्या 1058, खेसरा 1890, रकबा 05.95 डिसमिल है तथा चौहद्दी उत्तर में खेसरा 1890, दक्षिण में खेसरा 1890, पूरब में खेसरा 1890 तथा पश्चिम में खेसरा 1890 है ।

चयनित भूमि पर सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण हेतु स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

औचित्य बतलाना

*1399. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 फरवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''शिक्षा विभाग से मिले करोड़ों के खर्च का हिसाब नहीं दे रहे जिले'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 38 जिलों में विभिन्न योजनाओं जैसे पोशाक छात्रवृति वेतन, साईकिल, प्रोत्साहन, परिभ्रमण और भवन निर्माण आदि में खर्च हुई राशि का हिसाब वर्ष 2002-03 से 2019-20 तक का एसी-डीसी बिल लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार की उक्त योजनाओं के एसी-डीसी बिल लंबित होने का क्या औचित्य है ;

डिग्री कॉलेज खोलना

*1400. श्री राम रतन सिंह (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने प्रत्येक अनुमंडल मुख्यालय में डिग्री महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलांतर्गत तेघरा अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय नहीं है तथा क्षेत्रीय ग्रामीण सर्वेक्षण के अनुसार महाविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार कराना

*1401. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के दरभंगा शहर स्थित +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय का भवन जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय के जर्जर भवन की मरम्मती कार्य हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य के अनुशंसा पर विभाग द्वारा 15 माह पूर्व प्राक्कलन बनाने का निर्देश बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम को दिया गया था, निगम ने प्राक्कलन बनाकर विभाग को भेज दिया, परंतु अभीतक उक्त प्राक्कलन की स्वीकृति विभाग ने नहीं दिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

खनन की अनुमति देना

*1402. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास एवं भोजपुर के सभी घाटों पर बालू खनन के लिये टेंडर होने के बावजूद एन० जी० टी० की अनुमति के अभाव में नये घाट मालिकों को बालू खनन की अनुमति नहीं दी जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उसी घाटों का पुराने दर पर पुराने पट्टाधारियों को बालू खनन के लिये 3-3 माह का समय विस्तार दिया जा रहा है, जिससे सरकार को प्रतिमाह राजस्व की भारी क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नये घाट मालिकों को खनन की अनुमति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । भोजपुर तथा रोहतास जिलान्तर्गत बालूघाटों की बंदोबस्ती नई बालू नीति, 2019 एवं बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के प्रावधानों के तहत ई-नीलामी के माध्यम से करायी जा चुकी है । माननीय NGT द्वारा O.A संख्या-62/2020 में दिनांक 6 नवम्बर, 2020 को पारित न्यायादेश तथा सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण नव-बंदोबस्त घाटों के बंदोबस्तधारियों को खनन करने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में नव-बंदोबस्तधारियों द्वारा खनन कार्य नहीं करने के कारण पुराने बंदोबस्तधारियों को पंचांग वर्ष 2019 की बंदोबस्ती पर 50 प्रतिशत राशि की वृद्धि कर वर्ष 2020 में घाट संचालन की अनुमति दी गयी तथा पंचांग वर्ष 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत की वृद्धि कर पंचांग वर्ष 2021 में (दिनांक 31 मार्च, 2021) तक घाट संचालन की अनुमति दी गयी है । इस प्रकार 13 जिलों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त बालूघाट बंदोबस्तधारियों से पंचांग वर्ष 2019 की बंदोबस्ती राशि की तुलना में पंचांग वर्ष 2021 में 100 प्रतिशत अधिक राशि प्राप्त हो रही है ।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

जीर्णोद्धार कराना

*1403. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत श्री मारवाड़ी पाठशाला, भागलपुर का छात्रावास दशकों पूर्व निर्मित हुआ था, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छात्रावास जीर्णोद्धार नहीं होने के कारण छात्रों का अधिवास नहीं हो पा रहा है तथा जरूरतमंद गरीब छात्रों को अन्यत्र किराया पर रहना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री मारवाड़ी पाठशाला, भागलपुर के जीर्ण-शीर्ण छात्रावास के जीर्णोद्धार का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1404. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आरा जिला के काराकाट विधान सभा अन्तर्गत विक्रमगंज में बी० आर० सी० भवन का निर्माण कार्य कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा 04 वर्ष पूर्व लिया गया था, जो अबतक पूरा नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार बी० आर० सी० भवन का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित कर भवन निर्माण कराना

*1405. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के बिरौल पंचायत के रजवा गाँव में प्राथमिक विद्यालय संसूचित है, लेकिन भवन निर्माण नहीं होने के कारण यह विद्यालय एक कि० मी० दूर स्थित प्राथमिक विद्यालय गियारी में संचालित हो रहा है, जिसके कारण छोटे-छोटे बच्चों को विद्यालयों आने-जाने में कठिनाइयाँ होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा राशि भी विमुक्त कर दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्राथमिक विद्यालय-रजवा को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित कर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण पूर्ण कराना

*1406. श्री हरिशंकर यादव (क्षेत्र संख्या-108 रघुनाथपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर प्रखंड के ग्राम-बिन टोलवा में स्थित प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण 7 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया, परंतु अबतक भवन अर्द्धनिर्मित है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आउटडोर स्टेडियम का निर्माण

*1407. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लखनौर प्रखंड के कुंजी शांति उच्च विद्यालय, रमौली (तमुरिया) एवं मधेपुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय-भीठ भगवानपुर स्थित मैदान में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी-मधुबनी के पत्रांक 1573/जि० वि०, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 के माध्यम से सम्बद्ध विभाग को निर्धारित मापदंड के अनुरूप भू-खंड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जगहों पर आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1408. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड में समेकित बाल-विकास परियोजना अन्तर्गत कुल 156 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें से मात्र 29 आगनबाड़ी केन्द्रों के पास अपना भवन है, शेष 37 केन्द्रों का संचालन सरकारी सामुदायिक भवनों, स्कूलों व पंचायत भवनों में हो रहा है तथा 90 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किराये के मकान में हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित प्रखण्ड के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बाल विकास परियोजना जयनगर, मधुबनी अन्तर्गत 156 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिसमें 37 आंगनबाड़ी केन्द्र का अपना भवन है। 34 आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक भवनों, स्कूलों एवं पंचायत भवनों में संचालित है। 87 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किराये के मकान में हो रहा है। संचालित किराये के मकान में से 4 केन्द्रों का आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है। जबकि शेष 83 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

उपलब्ध जमीन पर मनरेगा एवं आइ०सी०डी०एस० के माध्यम से भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

भवन निर्माण एवं शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*1409. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत वजीरगंज प्रखंड में राजकीय मध्य विद्यालय, केनार चट्टी को 2 वर्ष पूर्व +2 विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया है, परन्तु अभीतक उक्त विद्यालय का न तो भवन निर्माण हुआ और न ही शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उत्क्रमित विद्यालय के लिये भवन का निर्माण एवं शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

*1410. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव स्थित विक्रमशिला महाविहार के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विक्रमशिला महाविहार के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जिला प्रशासन को दो वर्ष पूर्व ही जमीन चिह्नित करना था, परंतु अभीतक जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके कारण काम प्रारंभ नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त स्थान के पास जमीन चिह्नित कर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शहीद के नाम पर विद्यालय का नाम रखना

*1411. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत पीरो प्रखंड के ग्राम-लहराबाद के निवासी अखिलेश कुमार, कार्यरत, सार्जेंट, भारतीय वायु सेना में थे जो दिनांक 22 जुलाई, 2016 को चेन्नई एयर एक्सीडेंट में शहीद हो गये ;

(2) क्या यह बात सही है कि शहीद अखिलेश कुमार उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, लहराबाद, प्रखंड पीरो के भूमिदाता थे ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित विद्यालय का नाम शहीद अखिलेश कुमार उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रखना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना

*1412. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड कुटुम्बा में स्थित कन्या मध्य विद्यालय, रसलपुर एवं कन्या मध्य विद्यालय, हनेया से 10 कि०मी० की परिधि में कन्या उच्च

विद्यालय नहीं होने से छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1413. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के काशीचक प्रखण्ड में स्टेडियम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड के इंटर विद्यालय, चंडीनोमा में एक मानक क्षेत्रफल का खेल मैदान अवस्थित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक युवाओं के हित में उक्त खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सहित अतिरिक्त कमरों का निर्माण

*1414. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी(अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखण्ड के नौहट्टा उच्चतर माध्यमिक 10+2 विद्यालय में 1253 छात्र-छात्राओं का नामांकन दर्ज है तथा उक्त विद्यालय में स्वीकृत पद के विरुद्ध मात्र 10 शिक्षक प्रतिनियुक्ति हैं एवं स्कूल भवन में कमरे का अभाव है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में स्वीकृत पद के विरुद्ध शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के साथ अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1415. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भभुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के प्रखंड चाँद के पंचायत बिठरी के ग्राम-सिलौटा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्थित है, जिसके चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के चहारदीवारी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन बनाना

*1416. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अन्तर्गत पुरन्दाहा रजबाड़ा पश्चिमी पंचायत के ग्राम-जमुनियाँ स्थित प्रा० विद्यालय स्थित है, जो भवनहीन होने के कारण म०वि०, बसंतपुर में संचालित हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का जीर्णोद्धार

*1417. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत मैरवा प्रखण्ड में राजकीय मध्य विद्यालय का दलित छात्रावास जर्जर अवस्था में होने के कारण आवासित छात्र अप्रिय घटना के डर से हमेशा संकट में रहते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त छात्रावास का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*1418. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत एकमा एवं लहलादपुर प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण वहाँ के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना

*1419. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी और निजी संस्थानों में एन0एस0डी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को शिक्षा लोन देने का प्रावधान है, परंतु वोकेशनल कोर्स के छात्र-छात्राओं को शिक्षा लोन नहीं मिलने के कारण छात्र-छात्राओं को कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वोकेशनल कोर्स के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*1420. श्रीमती संगीता कुमारी (क्षेत्र संख्या-204 मोहनिया (अ0जा0))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के प्रखंड कुदरा के ग्राम-डिहरा में स्थित खेल मैदान को स्थानीय लोगों द्वारा चारों तरफ से अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खेल मैदान पर कबतक स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कला एवं संस्कृति भवन का निर्माण

*1421. श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र संख्या-148 अलौली (अ0जा0))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड में कला, संस्कृति भवन नहीं रहने से युवाओं को अपनी कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में कला एवं संस्कृति भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोफेसरों की पदस्थापना

*1422. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर प्रखंड स्थित दाउदनगर कॉलेज में विभिन्न विभागों के 52 प्रोफेसर के स्वीकृत पद के विरुद्ध मात्र 13 प्रोफेसर का पदस्थापन रहने से छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन पूरी तरह बाधित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित कॉलेज में स्वीकृत पद के विरुद्ध प्रोफेसरों की पदस्थापना कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण कराना

*1423. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत गड़नी प्रखंड में स्थित गड़हनी खेल मैदान अत्यंत दयनीय स्थिति में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान का सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन

*1424. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के हल्दी खोड़ा हाट से जिला मुख्यालय किशनगंज वाया-बरबट्टा, मौधो, अलता, रहमतपाड़ा पथ पर सरकारी बस का परिचालन नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं सफर करने के लिये ज्यादा किराया देना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्गों पर सरकारी बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस बेड़े में बसों की कमी है ।

वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग पर बस परिचालन करने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है ।

प्राईवेट बस मालिकों द्वारा मनमाफिक किराया वसूलने संबंधी तथ्य की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज को विभागीय पत्रांक 1602, दिनांक 26 फरवरी, 2021 द्वारा निदेशित किया गया है ।

विद्यालय का भवन निर्माण

*1425. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के छौड़ादानों प्रखंड के जीतपुर पंचायत के ग्राम-जीतपुर में (10 + 2) इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय का दर्जा वर्ष 2012 में मिलने के बावजूद भवन के अभाव में शिक्षक एवं छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधाएं बहाल कराना

*1426. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अंतर्गत नागी नकटी 1978 से पक्षी अभ्यारण घोषित है, पक्षी प्रेमी पर्यटक का आना-जाना लगा रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अभ्यारण में 15 से 17 जनवरी, 2021 को बिहार का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है, पर्यटकों के आने-जाने के लिए कैफेटेरिया एवं अन्य सुविधा का होना आवश्यक प्रतीत होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अभ्यारण में कैफेटेरिया एवं अन्य सुविधाएं कबतक बहाल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पदस्थापन

*1427. डॉ0 रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या-185 फतुहा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पुनपुन प्रखण्ड में पदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा ही सम्पतचक प्रखण्ड का कार्य भी देखा जाता है, जिसके कारण सम्पतचक प्रखण्ड के लोगों को आँगनबाड़ी संबंधित कार्यों में काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सम्पतचक प्रखण्ड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*1428. श्रीमती वीणा सिंह (क्षेत्र संख्या-129 महनार)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला वैशाली के प्रखंड सहदेई के ग्राम-कुम्हरकोल में लगभग 2-3 एकड़ में स्थित गाँधी फील्ड के नाम से मशहूर खेल का मैदान पर स्टेडियम का निर्माण हो जाने से आस-पास के बच्चों का खेल के प्रति रूझान बढ़ेगा, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

अधूरे भवन का निर्माण

*1429. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड मोहनपुर में मध्य विद्यालय, बेलारपुर का भवन का निर्माण कार्य 2013 में प्रारम्भ हुआ, पूरी राशि की निकासी कर ली गयी, किन्तु भवन का निर्माण अबतक अधूरा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के अधूरे भवन निर्माण कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ठोस उपाय करना

*1430. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में शराबबंदी कानून 01 अप्रैल 2016 से लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 से 2020 तक में प्रत्येक दिन औसतन 1000 लीटर शराब जब्त हो रही तथा मुजफ्फरपुर जिला में सर्वाधिक 45,478 लीटर शराब जब्त हुई, अबतक 1 लाख 25 हजार मामले दर्ज हुए हैं, 1 लाख 75 हजार गिरफ्तारियाँ हुई है तथा 14 हजार शराब गिरोहों का पता चला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अवैध शराब बिक्री में संलिप्त कारोबारी, संरक्षणकर्ताओं, अधिकारियों कि सूची सार्वजनिक करने के साथ शराब के अवैध बिक्री को खत्म करने के लिए ठोस उपाय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त कमरे का निर्माण

*1431. श्रीमती नीतू कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ विधान सभा क्षेत्र के नरहट प्रखण्ड के पंचायत खंनमा के ग्राम-खनवां में 10+2 (इंटर) विद्यालय के भवन में कम कमरे होने से छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन में अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बहुद्देशीय भवन एवं आधारभूत संरचना का निर्माण

*1432. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर का एकमात्र अंगीभूत ललित नारायण जनता कॉलेज में बहुद्देशीय भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की कमी से विद्यार्थियों को पठन-पाठन में परेशानी हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आधारभूत संरचना के लिए कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कॉलेज में बहुद्देशीय भवन एवं आधारभूत संरचना का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सेविका की नियुक्ति

*1433. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर प्रखण्ड स्थित ग्राम-पंचायत बारा के ग्राम-पनहारा में आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या 91 में सेविका का पद 07 महीनों से रिक्त रहने के कारण लाभार्थी शिक्षा एवं पोषाहार से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं वर्ग कक्षों का निर्माण

*1434. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के दादपुर ग्राम स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में छात्र-छात्राओं के अनुपात में वर्ग कक्षों की कमी रहने एवं चहारदीवारी नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं में असुरक्षा का भय बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में चहारदीवारी एवं वर्ग कक्षों का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किचेन शेड की राशि उपलब्ध कराना

*1435. श्री शाहनवाज (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में वर्ग-1 से वर्ग 8 तक मध्याह्न भोजन योजना संचालित है, उक्त विद्यालयों को मध्याह्न भोजन बनाने के लिये विभाग द्वारा किचेन शेड निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा रही है, लेकिन मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों को उक्त योजना के तहत किचेन शेड की राशि नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में उक्त योजना के तहत किचेन शेड की राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कराना

*1436. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखंड के ग्राम पंचायत पश्चिमी केताकी के ग्राम-खरक बिगहा एवं ग्राम पंचायत पश्चिमी केताकी के ग्राम-बाबु बिगहा में प्राथमिक विद्यालय का भवन नहीं होने के कारण छोटे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु 2-3 किलोमीटर दूर के विद्यालय में जाना पड़ता हैं, जिससे बच्चों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन

*1437. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड के बेलखारा से अरवल होते हुये पटना तक सरकारी बस का परिचालन की स्वीकृति 10 वर्ष पूर्व ही मिली थी, परन्तु अबतक उक्त मार्ग पर सरकारी बस का परिचालन शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्ग पर सरकारी बस का परिचालन शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस बेड़ा में बसों की कमी है । फिर भी जिला के प्रमुख मार्ग औरंगाबाद पटना मार्ग पर निगम एवं लोक निजी भागीदारी योजना को कुल 12 बसों का परिचालन कराया जा रहा है ।

वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग पर बस परिचालन करने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है ।

अंतर राशि का लंबित भुगतान कराना

*1438. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी, शिवहर सहित राज्य के अन्य सभी जिलों में पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2020 से 23 मार्च, 2020 तक किये गये हड़ताल अवधि का सामंजन किये जाने के बावजूद संबंधित शिक्षकों के वेतन एवं अंतर राशि का भुगतान लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त लंबित भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

*1439. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ० ज० जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत

कुमारीपुर पंचायत के कालीस्थान वार्ड संख्या 11 की जनसंख्या 2500 से अधिक रहने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय नहीं, है, जिस कारण वहाँ के बच्चे/बच्चियों को 3 कि० मी० दूर बोरनी उत्क्रमित मध्य विद्यालय अथवा 3 कि० मी० दूर प्राथमिक विद्यालय, कुमारीपुर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कालीस्थान वार्ड सं० 11 में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*1440. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया तथा पताही प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने से ग्रामीण विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*1441. श्री भारत भूषण मंडल (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला में फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय रहने के बावजूद फुलपरास में डिग्री महाविद्यालय नहीं है, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार फुलपरास में कबतक डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निबंधन प्रारंभ कराना

*1442. श्री मेवालाल चौधरी (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सहित पूरे प्रदेश में गैर-मजरूआ मालिक जमीन का निबंधन 8-10 महीनों से बंद रहने के कारण लोगों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन का निबंधन प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । गैर-मजरूआ मालिक की भूमि सरकारी सम्पत्ति के अंतर्गत समाहित है ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 445, दिनांक 13 अप्रील, 2016 के द्वारा सभी समाहर्ता को भेजे गये सत्र में यह निदेश दिया गया है कि सभी कैसरे-ए-हिन्द, गैर-मजरूआ आम, गैर-मजरूआ खास, खास महाल की भूमि निगम बोर्ड, वक्फ बोर्ड, धार्मिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक न्यास आदि की भूमि की सूची जिला अवर निबंधक को उपलब्ध करायी जाय ताकि उक्त भूमि की अवैध अंतरण पर रोक लग सके ।

निबंधन विभाग के पत्रांक 980, दिनांक 17 मई, 1997 के द्वारा भी बन्दोबस्ती से प्राप्त किसी भी गैर-मजरूआ भूमि का विक्रय विलेख या हस्तान्तरण दस्तावेज निबंधन हेतु स्वीकार न किया जाये का आदेश निर्गत है ।

सरकारी भूमि के निबंधन पर रोक होने के कारण वर्तमान में निबंधन किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

समायोजन हेतु दिशा-निर्देश देना

*1443. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 5 सितम्बर, 2019 को पंचायती राज के अन्तर्गत पूरे बिहार के प्रा० नियोजित शिक्षकों ने बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा लिखित सूचना राज्य सरकार को देकर पटना में आयोजित एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन में सम्मिलित हुये ;

(2) क्या यह बात सही है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार के पत्रांक 8//शि०पु०, 9 फरवरी, 2013 (खण्ड) 102, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), समस्तीपुर का ज्ञापांक 2951, दिनांक 5 सितम्बर, 2019 द्वारा शिक्षकों का उक्त दिन का वेतन रोक दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों के अवकाश समायोजन हेतु दिशा-निर्देश देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान करना

*1444. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समाप्तप्राय संस्कृत भाषा को पढ़ाने वाले 69 (उनहत्तर) बिहार अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन भुगतान विगत पाँच वर्षों से बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*1445. श्री हरि नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत चण्डी प्रखंड के ग्राम पंचायत-गंगौरा के ग्राम-ढ़कनीया में प्राथमिक विद्यालय, ढ़कनीया का भवन जर्जर अवस्था में है, जबकि उक्त विद्यालय में छात्रों की संख्या लगभग दो सौ पचास (250) है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित विद्यालय के भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*1446. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली (अ० जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत आन्दर प्रखंड के ग्राम-पंचायत खेढाय में अवस्थित मध्य विद्यालय को 2012 में ही उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद भवन का निर्माण अबतक नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई सुचारु रूप से कराना

*1447. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी निजी तथा सरकारी विद्यालय कोविड-19 महामारी में मार्च, 2020 से लगातार 8 माह तक बंद थी तथा विद्यार्थियों का पठन-पाठन बंद भी था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बंदी के दौरान किसी प्रकार की शैक्षणिक क्रियाविधि

विद्यालयों द्वारा नहीं करने के बावजूद भी विद्यालय विद्यार्थियों के अभिभावकों से उक्त अवधि का फीस वसूल कर रही है तथा जिन विद्यार्थियों के अभिभावक फीस जमा करने में असमर्थ हैं, उनकी पढ़ाई विद्यालयों द्वारा रोक दी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निजी तथा सरकारी स्कूलों के प्रबंधन समिति द्वारा उक्त अवधि हेतु फीस वसूलने पर रोक लगाकर प्रभावित विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारु रूप से करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रासायनिक अभियंत्रण की पढ़ाई शुरू कराना

*1448. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय अवस्थित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय में कैमिकल अभियंत्रण की पढ़ाई नहीं होने के कारण इच्छुक छात्र-छात्राएं मुख्यालय से बाहर पलायन के लिये मजबूर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा भी संबंधित विभाग को रासायनिक अभियंत्रण की पढ़ाई आरंभ करने हेतु कार्यालय पत्रांक 617, दिनांक 24 सितम्बर, 2020 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु अबतक कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त महाविद्यालय में रासायनिक अभियंत्रण की पढ़ाई शुरू करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय में सत्र-2016-17 से निम्नांकित पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है --

	पाठयक्रम	प्रवेश क्षमता
(*i*)	सिविल ईंजि०	60
(*ii*)	मेकेनिकल ईंजि०	60
(*iii*)	कम्प्यूटर साइस	60
(*iv*)	इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स	60

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(3) (*i*) वस्तुस्थिति यह है कि किसी नये अभियंत्रण पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की अनुमति आवश्यक होती है।

(*ii*) परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंडों यथा भवनादि का निर्माण, आवश्यक प्रयोगशाला, कर्मशाला, यंत्र-संयत्र, उपकरण, कम्प्यूटर, उपस्कर, पुस्तक, जर्नल्स, मानव संसाधन इत्यादि को पूरा किये जाने के पश्चात् परिषद् की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय विगत शैक्षणिक सत्र तक अस्थायी परिसर में संचालित था। अस्थायी परिसर में नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान ।

विद्यालय भवन का निर्माण

*1449. श्री राज कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-144 मटिहानी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत लखीसराय नगर परिषद् क्षेत्र में स्थित दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय का भवन जर्जर रहने के कारण उक्त विद्यालय का शिक्षण कार्य के०आर०के० उच्च विद्यालय स्थित विज्ञान भवन में किया जाता है, जिससे अध्ययनरत 1100 छात्राओं एवं 10 अध्यापकों को शिक्षण कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय के पूर्व संचालित भवन से सटे आम गैर-मजरूआ भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित आम गैर-मजरूआ भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कराना

*1450. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि महादलित टोलों में जहाँ पहले से सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड नहीं है, वहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड के रिफातपुर, सीमानपुर, बाराहाट, सलेमपुर, मुशहरी टोला एवं चंडीपुर पहाड़ी टोला में सामुदायिक भवन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड अन्तर्गत उक्त महादलित टोलों में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति एवं बकाया वेतन का भुगतान करना

*1451. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के विभागीय पत्रांक 1623, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के द्वारा पटना जिले के मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को स्नातक विज्ञान शिक्षक के पद पर प्रोन्नति दिनांक 1 अक्टूबर, 2011 से देने हेतु आदेश निर्गत किया गया है, जो अभीतक नहीं दिया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभागीय पत्रांक 1623, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 द्वारा निर्गत आदेश से शिक्षकों का दिनांक 1 अक्टूबर, 2011 से स्नातक विज्ञान में प्रोन्नति एवं देय तिथि से बकाया वेतन का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*1452. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एंव युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल में स्टेडियम नहीं है एवं इस जिला के बिरौल प्रखंड के बिरौल पंचायत अन्तर्गत खोरागाछी मैदान स्टेडियम बनने की सभी अर्हताएँ पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मैदान को स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सांस्कृतिक भवन (टाउन हॉल) बनाना

*1453. श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र संख्या-3 नरकटियागंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण ज़िलान्तर्गत नरकटियागंज अनुमंडल में सांस्कृतिक भवन (टाउन हॉल) नहीं होने से कला, संस्कृति कार्यक्रम एवं प्रशासनिक कार्यक्रम आयोजित करने में कठिनाई होती है, साथ ही क्षेत्र के कलाकार, शिल्पकार एवं रंगमंचकर्मी अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नरकटियागंज में सांस्कृतिक भवन (टाउन हॉल) बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*1454. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत हाँसा, सेनानी टोला, वार्ड नम्बर 1 में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर सेनानी टोला में चहारदीवारी नहीं है, जिससे विद्यालय परिसर में जानवरों द्वारा फूल-पौधों को क्षति पहुँचाया जाता है और परिसर में गंदगी भी फैलाते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण कराना

*1455. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के हराज नरूल्हापुर पंचायत के गोठिया ग्राम में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का चहारदीवारी नहीं रहने से विद्यार्थियों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी एवं भवन निर्माण

*1456. श्रीमती मंजू अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी प्रखंड स्थित श्रीरामपुर पंचायत के अफजलपुर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय, अफजलपुर के चहारदीवारी का निर्माण नहीं कराया गया है और भवन भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का चहारदीवारी एवं भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1457. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत ईश्वर सच्चिदानन्द +2 उच्च विद्यालय, बासोपट्टी में 9वीं वर्ग से 12वीं वर्ग तक कुल 3965 छात्र-छात्रायें नामांकित हैं, छात्र के अनुपात में विद्यालय भवन का अभाव है, जिससे छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रश्नांकित विद्यालय में भवन का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती एवं चाहरदीवारी का निर्माण कराना

*1458. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या 83 दरभंगा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर के 1878 ई0 में स्थापित राज +2 उच्च विद्यालय का भवन जर्जर होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के भवन का मरम्मती एवं चाहरदीवारी के निर्माण हेतु 6.54 करोड़ का प्राक्कलन बनकर आया हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राक्कलन की स्वीकृति देकर इस ऐतिहासिक राज +2 उच्च विद्यालय भवन का मरम्मती एवं चहारदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराना

*1459. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला मुख्यालय स्थित डी0 एस0 ए0 ग्राउंड स्टेडियम पुराना एवं जर्जर स्थिति में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्टेडियम जिलास्तरीय खेल प्रतियोगिता हेतु उपयुक्त है एवं इस क्षेत्र के सभी खिलाड़ी खेल का अभ्यास इसी स्टेडियम में करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राउंड स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण कराना

*1460. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलांतर्गत औरंगाबाद विधान सभा अंतर्गत देव प्रखण्ड के ग्राम पंचायत-खरकनी के ग्राम-चंदली में प्राथमिक विद्यालय का भवन नहीं है, जबकि खाता नं0-14, प्लॉट नं0-220 और ऐराजी-08 डिसमिल जमीन उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई थी, कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना, औरंगाबाद द्वारा निर्गत भवनहीन विद्यालयों की सूची में प्रा0 विद्यालय चंदली का नाम अंकित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना

*1461. श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखण्ड के राजकीय मध्य विद्यालय, चपरिया के पास साढ़े तीन एकड़ जमीन एवं मैदान और भवन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रास्ता उपलब्ध कराना

*1462. श्री राम चन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-84 हायाघाट) --क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड में 1982 ई0 में स्थापित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, आनन्दपुर सहोरा का +2 विद्यालय में उत्क्रमण 2019 ई0 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित स्कूल तक जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस संबंध में जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा अपने पत्रांक 3194/सी0, दिनांक 8 सितम्बर, 2018 ई0 में जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को निदेशित करने के बावजूद अबतक रास्ता उपलब्ध नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्कूल में छात्राओं को आने-जाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1463. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील केस नं0 6831/2013 में दिनांक 19 अगस्त, 2013 को पारित आदेश में यह निर्देश दिया कि लम्बित करप्शन मामले वाले व्यक्ति कुलपति पद पर नियुक्त हेतु आयोग्य होंगे ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 8852/5जी0एस0/2018-VII, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 के अनुपालन में प्रो0 डी0 पी0 तिवारी कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यायल द्वारा पर इनके विरुद्ध माननीय कुलपति लखनऊ द्वारा वर्तमान में जाँच प्रचलित है लेकिन इन्होंने इस तथ्य को छिपा कर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के कुलपति के पद पर नियुक्त हुये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के कुलपति की नियुक्ति समाप्त कर उनपर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति करना

*1464. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत मेहसी प्रखंड के श्री रामरूप बलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को वर्ष 2013 में हाई स्कूल से +2 में उत्क्रमित किये जाने के बाद अबतक ग्यारहवीं एवं बारहवीं के छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गयी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में +2 स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त कमरे का निर्माण

*1465. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगाँव प्रखंड स्थित सरसहाय बालिका उच्च विद्यालय को वर्ष 2014 में इंटरस्तरीय विद्यालय में अपग्रेड किया गया, लेकिन कक्षा संचालन के लिए माध्यमिक कक्षाओं के कमरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उत्क्रमित विद्यालय में अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री एवं बीएड कॉलेज खोलना

*1466. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं बी० ईडी० (बीएड) कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन करने के लिये 150 कि० मी० दूर किशनगंज मुख्यालय में जाना पड़ता है, जबकि पोठिया प्रखंड के ग्राम पंचायत-बुढनई में 50 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं बी० ईडी० (बीएड) कॉलेज कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नये भवन का निर्माण कराना

*1467. श्रीमती किरण देवी (क्षेत्र संख्या-192 संदेश)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत संदेश विधान सभा क्षेत्र के ध्वज नारायण क्षेत्रीय उच्च विद्यालय, कुसरे का भवन पुराना एवं जर्जर होने के कारण आये दिन भवन का मलबा गिरने से विद्यार्थी चोटिल हो रहे हैं और उनके पठन-पाठन में बाधा हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के लिये नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराना

*1468. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत मेहसी प्रखंड के श्री रामस्वरूप बलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालाकोठी में कक्षा संचालन हेतु अतिरिक्त भवन का निर्माण कार्य 10 वर्षों से ठप पड़ा है, कक्षा संचालन के लिये विद्यालय में भवन पर्याप्त नहीं होने के कारण कक्षा संचालन में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में अधूरे पड़े भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*1469. श्री विजय शंकर दूबे (क्षेत्र संख्या-112 महाराजगंज)--क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के जीरादेई स्थित प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू का जन्म स्थली भवन राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो चुका है, पर स्मारक स्थित चैतक निवास व आंगन की छत जर्जर स्थिति में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार स्मारक भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यों को नियमानुसार कराना

*1470. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग का संकल्प 9331, दिनांक 9 फरवरी, 2019 के अनुसार 5 लाख की राशि का कार्य ही विभागीय स्तर पर कराने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति एवं तदर्थ समिति के द्वारा विद्यालय भवन निर्माण सहित असैनिक कार्य करने हेतु आवंटित राशि से नियम विरुद्ध 5 लाख अधिक राशि की योजनाओं का क्रियान्वयन बिना निविदा विभागीय स्तर पर किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त समितियों द्वारा नियम विरुद्ध कराये जा रहे कार्यों को नियमानुसार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया मानदेय का भुगतान

*1471. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के सभी प्रखंडों में तालीमी मरकज के शिक्षा स्वयं सेवकों एवं महादलित उत्थान केन्द्र के टोला सेवकों की संख्या 1050 है, जो विद्यार्थियों को पठन-पाठन हेतु विद्यालय पहुँचाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सेवकों की उपस्थिति विवरणी दिनांक 14 जुलाई, 2014 को जन शिक्षा निदेशालय, भोजपुर को उपलब्ध कराने के बावजूद भी उनको दिसंबर, 2012 से मार्च, 2013 तक का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त सेवकों को बकाया मानदेय का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वृक्षारोपण कराना

*1472. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज (अ० जा०))--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा हर परिसर हरा परिसर योजनान्तर्गत परिसर को हरा-भरा बनाने के लिये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत परसाहाट के ग्राम-नगराही के कबीर मठ में 9 बिगहा जमीन है, जिसमें अबतक वृक्षारोपण नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबीर मठ की भूमि पर उक्त योजना द्वारा वृक्षारोपण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बड़ा स्टेडियम का निर्माण

*1473. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली उच्च विद्यालय के प्रांगण में छोटा स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम नहीं होने के कारण क्रीड़ा संस्कृति का विकास नहीं हो सका है तथा खिलाड़ियों को काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की खाली पड़ी जमीन पर बड़ा स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1474. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत नगर पंचायत वारसलीगंज के नागपुर गाँव सहित पूरे बिहार में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भवन के अभाव में कई वर्षों से निजी स्थान पर चल रहा है, जिससे विद्यार्थियों को पठन-पाठन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन का भुगतान

*1475. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अन्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड में चार हजार वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभुकों का पेंशन विगत चार वर्षों से प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा की लापरवाही के कारण लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुये उक्त सभी लाभुकों को पेंशन का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन को पूर्ण कराना

*1476. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत कुटुम्बा प्रखंड के भरौंधा पंचायत अन्तर्गत ग्राम-कुसमा बसडीहा में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन अर्द्धनिर्मित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन निर्माण को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण

*1477. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर) -क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड समस्तीपुर के श्री कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जितवारपुर, हरिशंकरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाधी एवं माध्यमिक विद्यालय, धर्मपुर में वर्ग कक्ष की संख्या आवश्यकता से कम एवं निर्मित वर्ग कक्ष जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में आवश्कतानुसार अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम के रूप में विकसित करना

*1478. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखण्ड के खनकाह उच्च विद्यालय

एवं एकंगरसराय प्रखण्ड के श्री सुखदेव एकेडमी उच्च विद्यालय के मैदान में विगत 25 वर्षों से खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मैदानों का विकास स्टेडियम के रूप में नहीं होने से प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदानों को स्टेडियम के रूप में विकसित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

निबंधन कार्यालय खोलना

*1479. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के पटोरी अनुमंडल में निबंधन कार्यालय नहीं होने के कारण आमलोगों को जमीन रजिस्ट्री कराने 35 किलोमीटर दूर दलसिंहसराय जाना पड़ता है, जिससे गरीब लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है,

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अनुमंडल में निबंधन कार्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । समस्तीपुर जिला के पटोरी अनुमंडल में निबंधन कार्यालय नहीं है तथा निकटतम निबंधन कार्यालय, दलसिंहसराय पटोरी अनुमण्डल से लगभग 30 कि०मी० दूर है।

(2) विभागीय पत्रांक 1102, दिनांक 9 मई, 2013 के द्वारा नया निबंधन कार्यालय खोले जाने हेतु निर्धारित मापदण्डों में से एक मापदण्ड प्रस्तावित निबंधन कार्यालय, पटोरी पूरा नहीं करता है। इस मापदण्ड के अनुसार प्रस्तावित निबंधन कार्यालय में वार्षिक न्यूनतम 8,000 दस्तावेजों का उपस्थापन होना चाहिये, परन्तु पटोरी अनुमण्डल के अधीन पड़ने वाले तीनों अंचल यथा मोहनपुर, पटोरी एवं मोहिउद्दीन नगर का 5,000 से भी कम दस्तावेज प्रतिवर्ष निबंधित होता है ।

उर्दू शिक्षक का पदस्थापन

*1480. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के छौड़ादानो प्रखण्ड में स्थित उच्च विद्यालय को इण्टरस्तरीय उच्च विद्यालय (10+2) का दर्जा वर्ष 2012 में मिला है, परन्तु उक्त विद्यालय को 10+2 का दर्जा प्राप्त होते ही उर्दू शिक्षक का पद समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण उक्त विषय के बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में उर्दू शिक्षक के पद को पुनः बहाल करते हुये पदस्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*1481. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008-2009 में निर्णय लिया गया कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा, लेकिन अबतक सारण जिला के एकमा विधान सभा अन्तर्गत एकमा एवं लहलादपुर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण वहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल क्रियाविधि हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नया विद्यालय भवन बनाना

*1482 श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड-मोहनपुर के ग्राम पंचायत लखैपुर में प्राथमिक विद्यालय, मावाडीह का भवन पुराना एवं जर्जर हो चुका है, जिसको ग्रामीणों ने चन्दा कर अस्थायी मरम्मती कराई है फिर भी बच्चों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उसे तोड़कर उसी स्थान पर नया विद्यालय भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा प्रारंभ कराना

*1483. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ मोहनिया एवं भभुआ प्रखण्ड में वर्ष 2010 से राजधानी पटना हेतु सरकारी बस सेवा नहीं है, जिससे आमजनता को पटना आने-जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कैमूर जिला के उक्त प्रखंडों में पटना के लिए बस सेवा प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कैमूर जिला अन्तर्गत पटना से भभुआ, भाया-आरा, जगदीशपुर, मलियाबाग, कोचस मोहनियाँ मार्ग पर 02 नई बसों का परमिट प्राप्त किया गया है, जिसका परिचालन शीघ्र किया जाना है।

विद्यालय स्थापित करना

*1484. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलांतर्गत खरीक प्रखंड के विश्वपुरिया ग्राम में उच्च विद्यालय नहीं होने के कारण छात्राओं को पढ़ने के लिए पाँच किलोमीटर दूर दादपुर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जाना पड़ता है, जिस कारण उन्हें असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार विश्वपुरिया ग्राम में बालिका उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*1485. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 14 अक्टूबर, 2018 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''खुलासा 72 प्रतिशत विद्यार्थी नहीं आते स्कूल'' के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में सरकार द्वारा राज्य के उच्च एवं प्लस टू विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की जाँच में यह पाया गया था कि राज्य के ऐसे विद्यालयों में 72 प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयों में नहीं आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के उच्च और प्लस टू स्कूलों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की कमी रहने के कारण छात्र-छात्राओं को उचित शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा उच्च एवं प्लस टू विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने का क्या औचित्य है ?

भवन निर्माण कराना

*1486. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलांतर्गत जी0 एम0 एस0 एस0 प्लस टू विद्यालय, मधुबनी का भवन गिरा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विद्यार्थी हित में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 09 मार्च, 2021 (ई0)।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0-122-(एल0ए0)-2020-21-डी0टी0पी0-550